दिनांक 23.09.2019
प्रेस विज्ञप्ति 28/19

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ने नवरात्रि, दुर्गापूजा के अवसर पर समुचित सुरक्षा–व्यवस्था हेतु दिये निर्देश

श्री ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को दिनांक 29.09.2019 से प्रारम्भ नवरात्रि, दुर्गापूजा के त्यौहार के अवसर पर समुचित सुरक्षा/पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

- प्रत्येक थानों के त्यौहार रजिस्टर एवं रजिस्टर नं0–8 में उपलब्ध प्रविष्टियों का गहन अध्ययन कर लिया जाये। विगत वर्षो में अथवा इस वर्ष अभी तक जिन–जिन स्थानों पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद परिलक्षित हुआ हो, वहां पुलिस एवं राजस्व विभाग के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा स्थिति का अध्ययन कर विवाद को सुलझाने तथा संवेदनशीलता को दूर करने की यथासमय कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- दुर्गा पूजा कमेटी के आयोजकों/व्यवस्थापकों से पूर्व में ही सम्पर्क स्थापित कर कार्ययोजना तैयार कर ली जाये।
- दुर्गा प्रतिमा के स्थान/प्रतिमा विसर्जन के स्थान/जुलूस आदि के मार्गो का पूर्व में ही भली–भॉति निरीक्षण कर लिया जाय एवं आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी द्वारा भी जूलुस मार्गो का भ्रमण कर विवाद आदि की स्थिति होने पर उसका निराकरण समय से कर लिया जाये।
- समस्त पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी को यह स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि प्रत्येक छोटी से छोटी घटनाओं को गम्भीरता से लिया जाये। तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए विवाद को समाप्त करने हेतु प्रभावी उपाय सुनिश्चित किया जाये। अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिये जाये कि वह अपनी बीट में जाकर विवाद आदि की जॉच कर ले एवं बीट सूचना प्राप्त होते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर जाकर विवाद का समय से निराकरण करा लिया जाये।
- नवरात्रि/ दुर्गापूजा के अवसर पर पूर्व से ही सम्बन्धित विभागों/समाज के गणमान्य व्यक्तियों, गठित शान्ति समितियों एवं नागरिक सुरक्षा संगठनों के साथ बैठकें आयोजित कर उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाये।

- स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों को सतर्क रखते हुए विभिन्न असामाजिक, अवॉछनीय एवं साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाये तथा लाभप्रद सूचनाओं के आधार पर समय रहते प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- दुर्गामूर्ति के स्थान/प्रतिमा विर्सजन के स्थान/जुलूस आदि के मार्गो में पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगायी जाय। मूर्ति विर्सजन के समय नदियों के घाटों/सरोवर आदि पर जल पुलिस/बाढ़ राहत पुलिस के साथ प्रकाश की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- इस अवसर पर एस—10 एवं डिजिटल वालंटियर्स, नागरिक सुरक्षा समितियों का अपेक्षित एवं सकारात्मक सहयोग प्राप्त किया जाये।
- सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मो की सघन मानीटरिंग प्रारम्भ कर दी जाये। किसी भी प्रकार की सामाजिक एवं धार्मिक विद्धेष उत्पन्न करने वाली खबरों/अफवाहों का तत्काल खण्डन करते हुए अफवाह फैलाने वाले तथा ऐसी खबरे पोस्ट करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- संवेदनशील स्थानों आदि पर सीसीटीवी कैमरों का व्यवस्थापन करते हुए गठित टीम द्वारा वीडियोंग्राफी आदि की कार्यवाही भी करायी जाये। क्षेत्र में मोबाइल पेट्रोलिंग करायी जाये।

अतः नवरात्रि/दुर्गापूजा त्यौहार के अवसर पर दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए समुचित सुरक्षा/पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

जनपद बरेली/थाना सीबीगंज

- **25—25 हजार रू0 के 02 पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 22.09.2019 की सांय थाना सीबीगंज, क्राइम ब्रान्च व इन्टेलीजेंस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सत्यप्रकाश पार्क के पास चेकिंग के दौरान घेराबंदी कर पुरस्कार घोषित 02 अपराधियों 1.परवेज, 2.शहजाद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण थाना सीबीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 326/2019 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25—25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. परवेज निवासी पक्का बाग थाना गंज जनपद रामपुर।
2. शहजाद निवासी मो0बंजरिया खानासामा थाना गंज जनपद रामपुर।

जनपद रामपुर/थाना गंज

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 तमंचा 12 बोर, 02 जीवित, 03 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनाक 23.09.2019 को थाना गंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम केशरपुर के बाग के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध मोटर साइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी इमरान उर्फ झम्मन उर्फ सम्मन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से 01 अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्ज से 01 तमंचा 12 बोर, 02 जीवित, 03 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद रामपुर, बरेली के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट व आर्म्स

एक्ट के लगभग 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त जनपद रामपुर के थाना शहजादनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 14/2019 धारा 3/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गंज पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. इमरान उर्फ झम्मन उर्फ सम्मन निवासी सिन्धौली थाना मीरगंज जनपद बरेली हाल निवासी ग्राम जुठिया थाना शहजादनगर जनपद रामपुर।

बरामदगी

1. 01 तमंचा 12 बोर, 02 जीवित, 03 खोखा कारतूस
2. 01 मोटर साइकिल

जनपद एटा/थाना कोतवाली देहात

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 23.09.2019 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पवॉस नहर पुल के पास पुलिस कार्यवाही के उपरान्त पुरस्कार घोषित अपराधी बैजू को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्व जनपद के विभिन्न थानों में चोरी, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त जनपद एटा के थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 150/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. बैजू निवासी शहबाजपुर थाना निधौलीकलॉ जनपद एटा।

बरामदगी

1. 01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस

जनपद गाजियाबाद/थाना इंदिरापुरम

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **लूट के 9500/— रू0 नगद**
- **चोरी की स्कूटी**
- **01 तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 22/23.09.2019 की रात्रि थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर साहिबाबाद सब्जी मण्डी के सामने चेकिंग के दौरान संदिग्ध स्कूटी सवार को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी मोनू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 9500/—रू0 नगद, चोरी की स्कूटी, 01 तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद गौतमबुद्ध, गाजियाबाद के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त जनपद गाजियाबाद के थाना सिहानीगेट पर मु0अ0सं0 1337/2019 धारा 379 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तार पर जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना इंदिरापुरम पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. मोनू निवासी आदर्श नगर खोडा कालोनी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1. लूट के 9500/—रू0 नगद
2. चोरी की स्कूटी
3. 01 तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस

जनपद कानपुर नगर/थाना चकेरी

- **पुलिस कार्यवाही में 07 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा व 01 मिस कारतूस**
- **21200/— रू0 नगद**
- **30 एटीएम कार्ड**
- **08 मोबाइल फोन**
- **01 स्कार्पियो गाड़ी बरामद**

दिनांक 23.09.2019 को थाना चकेरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान एचएएल गेट से 100 मीटर पहले जी0टी0 रोड़ पर संदिग्ध स्कार्पियों गाड़ी की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में शातिर बदमाश दिनेश कुमार घायल हो गया, जिसे 06 अन्य बदमाशों सहित 2.अशोक, 3.रंजीत, 4.सुरेश कुमार, 5.संजय कुमार, 6.सुनील कुमार, 7.उत्तर को गिरफ्तार किया गया। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा व 01 मिस कारतूस, 21200/— रू0 नगद, 30 एटीएम कार्ड, 08 मोबाइल फोन, 01 स्कार्पियो गाड़ी बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त दिनेश के विरूद्ध जनपद रायबरेली, प्रतापगढ़ आदि जनपदों में चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, धोखाधडी, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना चकेरी पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. दिनेश कुमार निवासी पूरी कुमारन का पुरवा थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।
2. अशोक कुमार उर्फ राजू निवासी अलीपुर बुखारी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
3. रंजीत कुमार निवासी बभनपुर गढ़ी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
4. सुरेश कुमार निवासी बभनपुर गढ़ी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
5. संजय कुमार निवासी मंदीपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
6. सुनील निवासी अस्थान थाना नबावगंज जनपद प्रतापगढ़।
7. उत्तम निवासी जातनपुरवा ट्रासपोर्ट नगर थाना बाबूपुरवा जनपद कानपुर नगर।

<u>बरामदगी</u>

1. 02 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा व 01 मिस कारतूस
2. 21200/– रू0 नगद
3. 30 एटीएम कार्ड
4. 08 मोबाइल फोन
5. 01 स्कार्पियो गाड़ी

<u>जनपद सहारनपुर/थाना चिलकाना</u>

- **पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**
- **01 मोबाइल फोन व 550 रूपये आदि बरामद**

दिनांक 22.09.2019 की रात्रि थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नल्हेडा तिराहे के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध मोटर साइकिल सवार को रोकने का

प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत फायर कर दिया, जिसमें आरक्षी हरेन्द्र धामा घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में शातिर बदमाश कुर्बान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से 01 अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल, 01 मोबाइल फोन व 550 रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध हरियाणा व जनपद शामली, बागपत एवं सहारनपुर के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 21 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. कुर्बान निवासी मोहल्ला झण्डापीर कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी

1. 01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस
2. 01 मोटर साइकिल
3. 01 मोबाइल फोन व 550 रूपये नगद

———